पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 346/2017 1068 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
अररिया।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, अररिया।

पटना, दिनांक–24/8/18

विषयः– ई–टेन्डरिंग पद्धति द्वारा मुख्यमंत्री नली–गली योजना मद अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–08/2017–18 के ग्रुप सं0–21 के कार्य वार्ड नं0–04 अन्तर्गत रामउदागर सहनी के घर से पी0डब्लू0डी0 सड़क तक सड़क–सह–पुल निर्माण कार्य के निविदा के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया का पत्रांक–994 दिनांक–14.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा तुलनात्मक विवरणी एवं प्राप्त निविदाकारों के डाउनलोडेड निविदा कागजातों के समीक्षोपरान्त मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची निम्नवत् हैः–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तो को पालन करने के कारण।	अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओ के अनुपालन नहीं करने के कारण)
21.	मुख्यमंत्री नली–गली योजना मद अन्तर्गत वार्ड नं0–04 अन्तर्गत रामउदागर सहनी के घर से पी0डब्लू0डी0 सड़क तक सड़क–सह–पुल निर्माण कार्य।	**(1) श्री आलोक कुमार चर्तुवेदी** **(उद्धृत दरः–** B.O.Q से 0.01% कम दर पर।) **(2) श्री विकास कुमार वर्मा** **(उद्धृत दरः–** B.O.Q से 0.11% कम दर पर।)	**NIL**

उपरोक्त मान्य दोनों निविदाकारों में से न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार श्री विकास कुमार वर्मा को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि **36,66,476/–(छत्तीस लाख छियासठ हजार चार सौ छियत्तर)** रूपये मात्र से 0.11% कम अर्थात कुल राशि **36,62,443/–(छत्तीस लाख बासठ हजार चार सौ तैंतालीस)** रूपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता, डुडा, अररिया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

निम्न निदेशो को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि **03 (तीन)** माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. उक्त ग्रुपों के कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।

6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका–टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।

7. कार्य को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तद्नुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलबध करायी जाय।

8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवेल अवश्य करा लेगें, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढ़ग से की जा सके।

9. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।

10. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।

11. पथ के फ्लैक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगे ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का ठोकर नहीं हो।

12. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्‌ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।

13. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलींथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेगें।

14. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

<u>अनु0:–</u> तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।